



इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771

Email – sanchi13a@gmail.com

!! दुग्ध संयंत्र खण्डवा से संबद्ध बुरहानपुर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साँची दूध वितरण हेतु सुपरस्टॉकिस्ट सह परिवहनकर्ता का चयन हेतु तृतीय ई-निविदा सूचना !!

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर द्वारा दुग्ध संयंत्र खण्डवा से डूल्हार, रुस्तमपुर, बोरगांव बुर्जुग, नयापुरा, असीरगढ़, नेपानगर, निम्बोला, बुरहानपुर शहर, शाहपुर, खकनार, देड़तलाई, शेखपुरा, गुडी, सिंगोट, जसवाड़ी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साँची दूध वितरण हेतु सुपरस्टॉकिस्ट सह परिवहनकर्ता चयन हेतु तृतीय ई-निविदा के माध्यम से **Online** दरें आमंत्रित की जाती हैं। अधिक जानकारी के लिए आवेदन **MPCDF** की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र के निर्धारित मूल्य रु. **1,000/-** का भुगतान कर वेबसाइट www.mptenders.gov.in से प्राप्त कर **Online** आवेदन दिनांक **28-05-2024** दोपहर **12:00** बजे तक जमा किया जा सकता है। निविदा ऑफर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा। इस निविदा सम्बन्धी कोई संशोधन होता है तो वह ऊपर वर्णित वेबसाइट के अलावा अन्यत्र कहीं भी प्रकाशित नहीं की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर द्वारा दुग्ध संयंत्र खण्डवा से संबद्ध डूल्हार, रूस्तमपुर, बोरगांव बुर्जुग, नयापुरा, असीरगढ़, नेपानगर, निम्बोला, बुरहानपुर शहर, शाहपुर, खकनार, देड़तलाई, शेखपुरा, गुडी, सिंगोट, जसवाड़ी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साँची दूध वितरण हेतु दूध सुपरस्टॉकिस्ट सह परिहवनकर्ता की नियुक्ति हेतु तृतीय ई-निविदा प्रपत्र वर्ष 2024-2027



इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771

Email - sanchi13a@gmail.com

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
चांदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर
दूध सुपरस्टॉकिस्ट सह परिवहनकर्ता चयन हेतु आवेदन पत्र

(1)	ई-निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय।	—	28.05.2024 दोपहर 12:00 बजे तक।
(2)	ई-निविदा (ऑनलाईन) जमा करने तक की अंतिम दिनांक व समय	—	28.05.2024 दोपहर 12:00 बजे तक।
(3)	ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समय।	—	29.05.2024 दोपहर 1:00 बजे तक।
(4)	ई-निविदा के साथ जमा की जाने वाली ई.एम.डी. राशि।	—	रु. 1,00,000 /— (अक्षरी रुपये एक लाख मात्र)
(5)	दूध सुपरस्टॉकिस्ट सह परिवहनकर्ता हेतु तकनीकी अर्हताओं का प्रारूप।	—	प्रपत्र 01
(6)	दूध सुपरस्टॉकिस्ट सह परिवहनकर्ता की सामान्य तकनीकी शर्तें	—	प्रपत्र 02
(7)	दूध सुपरस्टॉकिस्ट सह परिवहनकर्ता हेतु ई-निविदा प्रपत्र (निविदाकर्ता का परिचय)	—	प्रपत्र 03
(8)	रु. 100 /— के नॉन ज्युडिशियल नोटरीज्ड स्टॉम्प पत्र	—	प्रपत्र 04
(9)	अनापत्ति प्रमाण पत्र	—	प्रपत्र 05
(10)	विपणन मार्ग की जानकारी	—	प्रपत्र 06
(11)	वित्तीय बिड (केवल ऑनलाईन)	—	प्रपत्र 07
(12)	अनुबंध प्रपत्र का प्रारूप	—	प्रपत्र 08

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या.
इन्दौर

महोदय,

इन्दौर दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध संयंत्र खण्डवा से संबद्ध बुरहानपुर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साँची दूध वितरण हेतु दूध सुपरस्टॉकिस्ट सह परिवहनकर्ता की सूचना दिनांक ----- को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में निवेदन करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिये गये हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है, तो मैं निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

—=0 तकनीकी अर्हतायें 0=—

क्रं.	आवश्यक अर्हताएँ	विवरण
1.	आवेदक का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)	(विवरण ऑन लाईन प्रस्तुत करें)
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता एवं पार्टनरशिप डीड संलग्न करें।	
3.	संस्था/फर्म होने की दशा में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।	
4.	निविदाकर्ता का आधार नम्बर होना अनिवार्य है।	
5.	पान नम्बर की प्रति संलग्न करें।	
6.	परिवहन कार्य हेतु स्वयं की आवश्यकतानुसार 02 तापरोधी वाहन दूध वितरण हेतु अन्यथा नये वाहन खरीदने की दशा में रुपये 100/- के स्टॉम्प पत्र पर नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। अतिरिक्त आवश्यकता हेतु भी स्वयं का ही वाहन होना चाहिए। सभी वाहन वर्ष 2020 मॉडल के या बाद के हो।	
7.	निविदाकर्ता के पास दुग्ध व्यवसाय एवं परिवहन हेतु अपने स्वयं के वाहन हेतु वाहन मालिक के दुग्ध व्यवसाय एवं दुग्ध परिवहन हेतु खाद्य एवं सुरक्षा के लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन का होना अनिवार्य है। जिसकी प्रति संलग्न करें।	
8.	वर्तमान में संचालित बैंक खाते की जानकारी।	
9.	विगत तीन वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 का इन्कम टैक्स रिटर्न I.T.R. संलग्न करें।	
10.	वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 तीनों वर्षों का संयुक्त रूप से कुल रु. 9.00 करोड़ का टर्न ओवर होना अनिवार्य है। टर्न ओवर हेतु वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 का सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें UDIN नं. एवं व्यवसाय का प्रकार दर्शाया गया हो प्रस्तुत करना होगा।	
11.	आवेदनकर्ता/फर्म एवं फर्म संचालकों के विरुद्ध वर्तमान में किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण दर्ज होने अथवा नहीं होने एवं किसी भी पुलिस थाने में कोई प्रकरण दर्ज होने या न होने के सम्बन्ध में तो उसका सत्यापित प्रमाण-पत्र निकटतम पुलिस थाने से प्रमाणित कर संलग्न करें।	
12.	एमपीसीडीएफ के भंडार-क्रय नियम की उपकण्डिका क्रं. 8.04 के अनुसार “यदि किसी भी निविदाकर्ता को निविदा में भाग लेने के पूर्व किसी भी दुग्ध संघ/शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा काली सूची में डाला गया हो तो वह निविदा हेतु अपात्र रहेगा। जानकारी प्राप्त होने पर किसी भी समय उसकी निविदा निरस्त की जा सकेगी।” तदनुसार का शपथ पत्र रु. 1,000/- के नोटराईज्ड स्टॉम्प पर तकनीकी विवरण के साथ संलग्न करें। संलग्न प्रपत्र क्र. 04 अवलोकन हेतु।	
13.	जी.एस.टी. नंबर की प्रति संलग्न करें।	
14.	दूध/दुग्ध पदार्थ वितरण व्यवसाय का 05 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।	
15.	इस निविदा में यदि कार्यरत सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक द्वारा भाग लिया जाता है, तो इन्दौर दुग्ध संघ से एवं दुग्ध संयंत्र खण्डवा से एन.ओ.सी. प्राप्त करना होगी।	
16.	रु. 1,00,000/- की ऑनलाईन जमा की गई राशि की जमा रसीद संलग्न करें।	
17.	निविदाकर्ता का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, संलग्न करें।	

हस्ताक्षर
नाम
पता
मोबाईल नं.

दुग्ध संयंत्र खण्डवा से संबद्ध बुरहानपुर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साँची दूध वितरण हेतु सुपरस्टॉकिस्ट सह परिवहनकर्ता की ई-निविदा हेतु आवश्यक शर्तें

1. आवेदनकर्ता को चाहे गए समस्त दस्तावेज ऑन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य है। भौतिक रूप से कोई भी दस्तावेज लेना मान्य नहीं किया जाएगा।
2. आवेदक को ऑन लाईन राशि रुपये 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख मात्र) ई.एम.डी. राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
3. सफल निविदाकार की नियुक्ति पश्चात संघ में प्रतिभूति राशि पेटे रुपये 2.00 लाख नकद आर.टी.जी.एस. के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते में जमा करना होगा तथा 2.00 लाख की बैंक ग्यारंटी दुग्ध संघ में प्रस्तुत करना होगी। दूध विक्रय वृद्धि होने पर आनुपातिक रूप से प्रतिभूति राशि में वृद्धि की जावेगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। ई.एम.डी. राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि में किया जावेगा। इस प्रकार कुल प्रतिभूति राशि रु. 5.00 लाख होगी।
4. प्रत्येक माह के अंत में क्रेटों का मिलान करने पर जो क्रेटे कम होती है या कम पाई जाती है तो उसकी राशि वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर खाते की जमा राशि में से कम की जावेगी एवं इस तरह प्रत्येक माह में क्रेट कमी की राशि समायोजित कर ली जाएगी।
5. यदि किसी निविदाकार की प्रतिभूति राशि के रूप में पूर्व की बैंक ग्यारंटी दुग्ध संघ में जमा है। जिसकी अवधि वर्तमान में वैध है, तो बैंक ग्यारंटी आगामी ई-निविदा में मान्य की जावेगी।
6. असफल निविदाकारों की ई.एम.डी. राशि एम.पी. टेण्डर्स के नियमानुसार वापस की जावेगी।
7. परिवहन कार्य हेतु स्वयं के तापरोधी वाहनों के दस्तावेज प्रस्तुत करें। अन्यथा नये वाहन खरीदने की दशा में रु. 100/- के स्टाम्प पत्र पर नोटिराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। तापरोधी वाहन मॉडल वर्ष 2020 अथवा उसके बाद के पंजीकृत होना चाहिए। वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ. से करवाकर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगी। वाहन संचालन एवं दूध व्यवसाय हेतु फर्म का खाद्य एवं सुरक्षा लायसेन्स का पंजीकरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
8. दूध सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता के द्वारा किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार रहेंगे :-
 - (A) दुग्ध संघ द्वारा दूध पर दिये जाने वाले वितरक मार्जिन/रिटेलर मार्जिन/परिवहन मार्जिन के सत्यापन हेतु माह के अंत में कम्प्यूटराईज्ड विक्रय विवरण पत्रक प्रस्तुत करना होगा।
 - (B) दूध सुपरस्टाकिस्ट को दूध संघ के द्वारा वितरण समय सारणी अनुसार वितरण डाक पर वाहन उपलब्ध कराना होंगे एवं निर्धारित समय पर मार्गवार दूध प्रदाय व वितरण सुनिश्चित करना होगा।
 - (C) दूध सुपरस्टाकिस्ट को सभी वितरण मार्गों पर अलग-अलग वाहन समय सारणी में तय समय पर संचालित करना होगा, जिससे समय पर दूध वितरण हो सके।
 - (D) दूध सुपरस्टाकिस्ट के कर्मियों द्वारा मार्गवार जाने वाली भरी एवं रिटर्न वाली खाली क्रेटों का हिसाब रखना होगा एवं संघ को प्रत्येक माह मिलान हेतु हिसाब प्रस्तुत करना होगा।
 - (E) दूध सुपरस्टाकिस्ट का कार्यक्षेत्र बुरहानपुर शहर एवं आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र रहेगा। बुरहानपुर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दूध प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए नए विपणन मार्ग बनाना, वितरक/रिटेलर चयनित कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी से स्वीकृति लेकर नियुक्त करना अनिवार्य रहेगा। नियुक्ति संबंधित कार्यवाही के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी से लिखित में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
 - (F) दुग्ध विक्रय वृद्धि हेतु मुख्य वितरण मार्गों के अतिरिक्त शटल मार्गों पर छोटी वाहनों, सहवितरक/रिटेलर के माध्यम से दुग्ध परिवहन कराना होगा।

- (G) वर्तमान में संचालित विपणन मार्ग के अतिरिक्त नवीन विकसित कालोनीयों में दुग्ध प्रदाय सुनिश्चित कराने के लिए नए मार्गों का गठन आगामी तीन माहों में करना होगा।
- (H) समस्त दुग्ध वितरकों से दूध की वेरियंट अनुसार मांग एकत्रित कर, गणना कर निर्धारित समय पर लिखित में अथवा ई-मेल द्वारा वितरकवार, मार्गवार, वाहन की क्षमता अनुसार प्रतिदिन संघ में देना होगी।
- (I) वाहनों में लोड हुए दूध को वितरक क्षेत्र के विक्रेताओं को विक्रय हेतु उतरवाना तथा उसकी मात्रा क्रेट संख्या सहित विक्रेता से प्राप्ति रसीद लेना, वापसी में रिक्त क्रेट प्राप्त करना तथा उसकी रसीद विक्रेता को दैनिक रूप से देना होगा।
- (J) दूध सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा वितरण डाक पर नियुक्त पर्यवेक्षक वाहनों में हो रहे दूध लोडिंग के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रेट्स में निर्धारित संख्या में दूध के पैकेट तथा कोई पैकेट लिकेज नहीं है। इसके पश्चात् दुग्ध संघ किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस हेतु यह आवश्यक होगा कि सुपरस्टॉकिस्ट अपने पर्यवेक्षकों के नाम मय फोटो I.D. प्रूफ के संघ में जमा करावेगा ताकि उनकी अनुपस्थिति का रिकार्ड संघ में रखा जा सके। पर्यवेक्षकों की अनुपस्थिति के विरुद्ध प्रबन्ध द्वारा निर्धारित पैनल्टी लगाने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
- (K) दूध सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा प्रतिदिन मांग अनुसार दूध मात्रा की राशि RTGS के माध्यम से नकद दुग्ध संघ के खाते में अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा। बैंक अवकाश के दिनों में राशि ऑनलाईन दुग्ध संघ खाते में अग्रिम जमा करना होगी। राशि जमा नहीं करने पर दूध प्रदाय नहीं किया जायेगा।
- (L) दूध सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा उठायी गई दूध मात्रा की नियत राशि संघ द्वारा वसूल की जा सके इस हेतु **इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर** के नाम संचालित बैंक खाते के अकाउण्ट-पे रेखांकित पाँच चैक दुग्ध संघ को देना होगा। जिसका विशेष परिस्थितियों में संघ द्वारा उपयोग किया जा सकेगा।
- (M) दुग्ध सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा बुरहानपुर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शासकीय/निजी संस्थाओं को स्वयं की तापरोधी वाहनों से दूध प्रदाय करना होगा। जिस पर सुपर/वितरक मार्जिन परिवहन व्यय का भुगतान किया जावेगा।
9. यदि किसी क्षेत्रीय वितरक अथवा विक्रेता को दूध की आपूर्ति बन्द की जाती है तो सुपरस्टॉकिस्ट का प्रमुख दायित्व रहेगा कि उस क्षेत्र के नियमित उपभोक्ताओं को दूध की आपूर्ति हेतु तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था उसी क्षेत्र में करेगा। जिसमें सभी उपभोक्ता नगद, अग्रिम पत्र धारी, संघ अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित हैं।
10. सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा नियुक्त अधिकृत वितरकों/विक्रेताओं को दिये जाने वाले मार्जिन एवं परिवहन व्यय का भुगतान सुपरस्टॉकिस्ट के माध्यम से किया जावेगा एवं भुगतान का रिकार्ड सुपरस्टॉकिस्ट को रखना होगा एवं सत्यापन हेतु प्रतिमाह संघ को प्रस्तुत करना होगा। यह प्रस्तुत नहीं होने पर आगामी माह में सुपरस्टॉकिस्ट की सेवाएँ समाप्त की जायेगी।
11. सुपरस्टॉकिस्ट को प्रतिमाह मार्गवार/झोनवार प्रतिदिन के वेरियंट अनुसार विक्रय होने वाली दूध मात्रा की मासिक औसत विक्रय रिपोर्ट वितरकों/हॉकरों से प्राप्त कर संघ में प्रस्तुत करनी होगी, उसी अनुसार संघ की स्थानीय झोन विक्रय रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
12. सुपरस्टॉकिस्ट वितरक को बुरहानपुर शहर सीमा एवं इसके आस-पास के ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्तमान में साँची दूध विक्रय हेतु कोई एजेन्सी/डिपो/पार्लर नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में प्रतिमाह 25 नवीन एजेन्सी वितरक के माध्यम से प्रारम्भ कर दूध विक्रय वृद्धि करना होगी।
13. सुपरस्टॉकिस्ट को गत वर्ष समान माह में विक्रय हो रही दूध मात्रा की तुलना में 10% वृद्धि करना अनिवार्य होगा। वृद्धि नहीं होने पर अनुपातिक मार्जिन में कटौती एवं पैनल्टी की जावेगी।

14. शहर में समय-समय पर आयोजित होने वाले धार्मिक सत्संग/मेला/प्रदर्शनी आदि बड़े आयोजनों में लगने वाले दूध की माँग यदि संघ को प्राप्त होती है तो संघ द्वारा निर्धारित विशेष रियायती दर पर दूध पैकेट प्रदाय करना होगा, जिसकी राशि सीधे संघ द्वारा प्राप्त की जावेगी सुपरस्टॉकिस्ट को नियमानुसार परिवहन व्यय का भुगतान किया जावेगा।
15. सुपरस्टॉकिस्ट वितरक को सम्पूर्ण क्षेत्र में समस्त विपरीत परिस्थितियों में जैसे शहर बंद, कर्फ्यू, निजी दूध व्यवसायियों की उपभोक्ताओं को दूध प्रदाय नहीं करने संबंधी हड़ताल आदि अवसरों पर दूध का प्रदाय अपनी जिम्मेदारी पर अनिवार्य रूप से करना होगा।
16. दूध/दुग्ध पदार्थ वितरण व्यवसाय का 05 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
17. दूध सुपरस्टॉकिस्ट को संघ द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण क्षेत्र में साँची दूध के व्यवस्थित वितरण हेतु परिवहन व्यवस्था करना होगी साथ ही वितरण कार्य में लगाये जाने वाले क्षेत्रीय वितरण वाहन (2020 या उसके बाद के मॉडल) या उसके जो कि 2 इंच मोटाई के पफयुक्त (Puff) तापरोधी वाहन होकर चारों ओर से बन्द (लोडिंग – अनलोडिंग हेतु एक ओर दरवाजा हो एवं पर्याप्त प्रकाश) की व्यवस्था भी करना होगी। इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज जैसे :- वाहन किराया, अनुबंध रजिस्ट्री आदि तथा वाहन रजिस्ट्रेशन भी जमा करवाने होंगे।
18. सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा डेयरी डाक से दूध प्राप्त करते समय उसकी जाँच-परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्राप्त कर लेने के पश्चात् किसी भी प्रकार के लीकेज तथा दूध पैकेट व क्रेट की गणना में अन्तर आदि की जिम्मेदारी सुपरस्टॉकिस्ट की रहेगी।
19. दूध सुपरस्टॉकिस्ट को संघ की निर्धारित शर्तों अनुसार **रुपये 1,000/-** के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। यह कि प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को केवल साँची दूध वितरण/विक्रय हेतु बुरहानपुर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु पूर्णतः अस्थाई रूप से 03 (तीन) वर्ष की अवधि हेतु सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्त किया गया है। तत्पश्चात् कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति संतोषजनक होने पर एक-एक वर्ष कर 02 (दो) वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी।
20. दूध सुपरस्टॉकिस्ट सह परिवहनकर्ता को एक माह की पूर्व अग्रिम सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में कार्य से पृथक करने का अधिकार प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ को रहेगा। इसके लिये प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ किसी भी तरह की न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। दूध सुपरस्टॉकिस्ट सह परिवहनकर्ता कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ को तीन माह का अग्रिम लिखित नोटिस दूध सुपरस्टॉकिस्ट सह परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बाबद् देना होगा।
21. सुपरस्टॉकिस्ट की नियुक्ति पश्चात् समस्त संचालित वाहनों पर ब्राण्डिंग संघ द्वारा दी गई डिजाईन अनुसार सुपरस्टॉकिस्ट को अपने व्यय पर कराना अनिवार्य होगी।
22. पूर्व में संघ में कार्य कर चुके सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक जिनका किसी भी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण रहा हो या वित्तीय अनियमितता हो या जिनको किसी भी संघ द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया हो या दुग्ध संघ में कार्यरत कर्मचारी/पूर्व कर्मचारी/स्वयं या रिश्तेदार हों वे सभी इस निविदा हेतु अपात्र रहेंगे।
23. सुपरस्टॉकिस्ट को बुरहानपुर शहर एवं आस-पास के क्षेत्र में निर्देश अनुसार नेटवर्क स्थापित कर लक्ष्य अनुसार विक्रय करना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा। कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण बुरहानपुर जिला होगा।
24. सुपरस्टॉकिस्ट संघ के विज्ञापन एवं ब्राण्ड प्रमोशन में पूर्ण सहभागिता देगा एवं आवश्यकता अनुसार प्रचार-प्रसार हेतु साधन भी उपलब्ध करवायेगा। साथ ही संघ द्वारा संपादित करवाये जाने वाले कार्य जैसे "दूध का दूध, पानी का पानी" एवं अन्य सर्वे आदि कार्यों में अपने प्रतिनिधि की उपस्थिति एवं सहभागिता भी सुनिश्चित करेंगे।

25. निविदा प्रपत्र के साथ आवेदक के विरुद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं है, ऐसी सत्यापन रिपोर्ट निकटतम पुलिस थाने से बनाकर प्रस्तुत की जाये।
26. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर को होगा।
27. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में ऑर्बिटेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
28. दूध सुपरस्टॉकिस्ट को बुरहानपुर शहर के नगर पालिक निगम वाले क्षेत्र में साँची दूध विक्रय हेतु 50 नये वितरक नियुक्त करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तत्पश्चात् झोन वितरक की प्रतिभूति राशि दुग्ध संघ के खाते में जमा कराना होगी एवं त्रिपक्षीय अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
29. ई-निविदा में स्वीकृत होने के पश्चात् निविदाकर्ता द्वारा यदि कार्य में अनियमितता की जाती है तो एक माह पूर्व नोटिस देकर सुपरस्टॉकिस्ट सह परिवहनकर्ता कार्य से पृथक किया जावेगा।
30. प्राप्त आवेदन की समीक्षा गठित चयन समिति के द्वारा की जावेगी, एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं समस्त आवेदकों पर बंधनकारी होगा।
31. इन्दौर दुग्ध संयंत्र पर दूध की चोरी के किसी भी तरह के प्रकरण में पकड़े जाने पर दूध के कुल मूल्य राशि का 50 गुणा अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा।
32. निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की अर्नेस्ट मनी संघ के खाते में समायोजन करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
33. सुपरस्टॉकिस्ट, वितरकों को वितरक दर पर ही साँची दूध विक्रय कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। रिटेलरों द्वारा उपभोक्ताओं को MRP से अधिक दर पर विक्रय होने पर वैधानिक कार्यवाही के लिए सुपरस्टॉकिस्ट जिम्मेदार होंगे।
34. दूध सुपरस्टॉकिस्ट के माध्यम से विक्रय किए जाने वाले दूध पर रु. 0.15 प्रतिलीटर सुपरस्टॉकिस्ट मार्जिन का भुगतान किया जावेगा। सुपरस्टॉकिस्ट मार्जिन में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
35. यह कि अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार सुपरस्टॉकिस्ट सह-परिवहनकर्ता की स्वीकृत परिवहन दरों में भी वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जा सकेगी। निविदा दिनांक को डीजल के दर रु. प्रतिलीटर है। इसकी गणना मार्ग की दूरी अनुसार निविदा में वर्णित है, वाहन का प्रकार टाटा 407 औसतन 10 किलोमीटर/प्रतिलीटर, टाटा 608/709/आयशर औसतन 06 किलोमीटर/प्रतिलीटर के आधार पर की जावेगी।
36. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत ई-निविदा प्रपत्र में प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
37. संघ द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देश/पत्र अनुबन्ध का भाग माने जावेंगे।
38. निविदाकार को खण्डवा या बुरहानपुर जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
39. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र न्यायालय इन्दौर रहेगा।
40. सुपरस्टॉकिस्ट सह परिवहनकर्ता एवं उससे संबद्ध वितरक का इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ एवं एमपीसीडीएफ के अधीनस्थ दुग्ध संघों में किसी प्रकार का किसी भी विषय पर कोई न्यायालयीन प्रकरण नहीं होने का राशि रुपये 1,000/- स्टॉम्प पत्र पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
41. वितरण वाहन के स्टॉफ की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, वाहन चालक लायसेन्स, आधारकार्ड व पहचान पत्र अनिवार्यतः उपलब्ध कराए जाए।

मेरे द्वारा साँची दूध सुपरस्टॉकिस्ट हेतु आवेदन एवं उसकी समस्त शर्तें पढ़ व समझ ली गई हैं, तथा मैं सभी शर्तों को मानने के लिये सहर्ष तैयार हूँ। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 42 तक वर्णित शर्तों एवं निर्देशन का पालन नहीं करता हूँ एवं मेरी अर्नेस्ट मनी समायोजित करने का प्रबन्ध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु पूर्ण होश हवास में, बिना किसी दबाव या बहकावे के अपनी सहमति देता हूँ।

-X-

**:: बुरहानपुर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साँची दूध वितरण हेतु
सुपरस्टॉकिस्ट सह परिवहनकर्ता का चयन हेतु निविदा प्रपत्र ::**

1. निविदाकर्ता का नाम—.....
2. पिता/पति का नाम—
3. शैक्षणिक योग्यता—
4. स्थाई पता—

स्वहस्ताक्षरित फोटो
लगावें

5. ई-मेल अनिवार्य रूप से अंकित करें —

(आधार कार्ड की छायाप्रति/दूरभाष/मोबाइल नं. सहित)

6. पत्र व्यवहार का पता—
(दूरभाष/मोबाइल नंबर के साथ)
7. वर्तमान व्यवसाय/कार्य—
व्यवसाय स्थान का पता —
(दूरभाष नंबर सहित)

8. वित्तीय स्थिति—
दूध सुपरस्टॉकिस्ट सह परिवहनकर्ता कार्य हेतु लगाई जाने वाली पूंजी की
व्यवस्था — हाँ/नहीं

9. 1) जमानतदार का नाम एवं पूरा पता—
.....
- 2) जमानतदार का नाम एवं पूरा पता—
.....
10. उत्तराधिकारी का नाम एवं पूरा पता —
.....

बुरहानपुर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के साँची दूध वितरण हेतु सुपरस्टॉकिस्ट सह परिवहनकर्ता का चयन हेतु निविदा के संबंधित समस्त शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ एवं समझ चुका हूँ/चुकी हूँ और मान्य करता हूँ/करती हूँ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

(रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

शपथ पत्र का प्रारूप

मैं पिता/पति श्री स्थायी पता
..... निम्नलिखित कथन शपथ लेकर कहता /
कहती हूँ कि :-

1. " यह कि मुझे/हमे किसी भी दुग्ध संघ/शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा काली सूची में डाला गया हो तो मैं/हम इस निविदा हेतु अपात्र रहेंगे। जानकारी प्राप्त होने पर किसी भी समय मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जा सकेगी।"
2. यह कि मेरा/हमारा वर्तमान में किसी भी पुलिस थाने में अद्यतन स्थिति तक कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है एवं न ही किसी भी न्यायालय में मेरे/हमारे विरुद्ध कोई वाद/आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है/चल रहा है।
3. सुपरस्टॉकिस्ट सह परिवहनकर्ता एवं उससे संबद्ध वितरक का इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ एवं एमपीसीडीएफ के अधीनस्थ दुग्ध संघों में किसी प्रकार का किसी भी विषय पर कोई न्यायालयीन प्रकरण नहीं होने का राशि रुपये 1,000/- स्टॉम्प पत्र पर शपथ पत्र प्रस्तुत है।

यह कि उपरोक्त में से कोई भी जानकारी भविष्य में गलत पाई जाती है तो दुग्ध संघ प्रबंधन मुझे/हमें आवंटित निविदा निरस्त कर मुझे/हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा। इस हेतु मैं/हम अपनी सहमति देते हैं।

गवाह—

1) नाम—

पता—

आधार कार्ड नं.....

मो.नं.

2) नाम—

पता—

आधार कार्ड नं.....

मो.नं.....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम—

पता—

मो.नं. —

अनापत्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है, कि कु./श्री/श्रीमति/मेसर्स
 वर्तमान में इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के साथ
 के रूप में कार्यरत है। आज दिनांक को इनका खाता नियमित
 है एवं दिनांक की स्थिति में बकाया राशि/—
 है, जिसके विरुद्ध प्रतिभूति राशि पेटे नगद राशि रुपये/— एवं
 बैंक ग्यारन्टी या एफ.डी. राशि रुपये/— जमा है।

अतः मेसर्स द्वारा सम्पूर्ण
 बुरहानपुर शहर में साँची दूध वितरण हेतु सुपरस्टॉकिस्ट सह परिवहनकर्ता हेतु
 जारी की गयी ई-निविदा में भाग लिया जाता है, तो इन्दौर सहकारी दुग्ध
 संघ को कोई आपत्ति नहीं है।
 जारी दिनांक

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

विपणन मार्ग की जानकारी

विपणन मार्ग का नाम
दुग्ध संयंत्र खण्डवा से डूल्हार, रूस्तमपुर, बोरगांव बुर्जुग, नयापुरा, असीरगढ़, नेपानगर, निम्बोला, बुरहानपुर शहर, शाहपुर, खकनार, देड़तलाई, शेखपुरा, गुडी, सिंगोट, जसवाड़ी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साँची दूध वितरण हेतु सुपरस्टॉकिस्ट सह परिवहनकर्ता
अनुमानित दूध विक्रय मात्रा प्रतिदिन 3600 लीटर

नोट :- दुग्ध संघ की आवश्यकता अनुसार नवीन विपणन मार्ग पर भी अनुबंधकर्ता को वाहन संचालन करना होगा।

साँची दूध वितरण हेतु वितरक सह-परिवहनकर्ता हेतु फाइनैशियल बिड

विपणन मार्ग का नाम	मार्ग की अनुमानित दूरी (आना-जाना)	अनुमानित दूध विक्रय मात्रा प्रतिदिन	निविदाकर्ता द्वारा तापरोधी वाहन की केवल दूध परिवहन दर (जिसमें मार्जिन सम्मिलित नहीं है।) रुपये प्रतिलीटर (जी.एस.टी. अतिरिक्त) को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करना है।
दुग्ध संयंत्र खण्डवा से डूल्हार, रूस्तमपुर, बोरगांव बुर्जुग, नयापुरा, असीरगढ़, नेपानगर, निम्बोला, बुरहानपुर शहर, शाहपुर, खकनार, देड़तलाई, शेखपुरा, गुडी, सिंगोट, जसवाड़ी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साँची दूध वितरण हेतु सुपरस्टॉकिस्ट सह परिवहनकर्ता हेतु ई-निविदा की शर्त अनुसार।	220 किलोमीटर	3,600 लीटर (आवश्यकतानुसार तापरोधी वाहन)	

नोट :- वितरक दर/मार्जिन की सूची संलग्न है। भविष्य में दूध की दरों एवं मार्जिन में प्रबंधन के निर्णयानुसार कमी/वृद्धि होने पर प्रभावी होंगी, जिन्हें परिवर्तन होने पर सूचित किया जाएगा।

INDORE SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT
MILK RATE

S.NO	MILK TYPE	DISTRIBUTOR RATE	DISTRIBUTOR MARGIN	RETAILER RATE	RETAILER MARGIN	M.R.P
1	SANCHI GOLD 6 LTR	361.80	4.20	366.00	18.00	384.00
2	SANCHI GOLD 1 LTR	59.30	0.70	60.00	3.00	63.00
3	SANCHI GOLD 500 ML	30.15	0.35	30.50	1.50	32.00
4	SANCHI GOLD 200 ML	13.26	0.14	13.40	0.60	14.00
5	SANCHI SHAKTI 500 ML	27.15	0.35	27.50	1.50	29.00
6	SANCHI CHAH 1 LTR	50.30	0.70	51.00	3.00	54.00
7	SANCHI SMART 500 ML	21.15	0.35	21.50	1.50	23.00
8	SANCHI SMART 160 ML	7.11	0.29	7.40	2.60	10.00
9	SANCHI CHAI SPECIAL 1 LTR	46.30	0.70	47.00	3.00	50.00
10	SANCHI LITE 500 ML	18.15	0.35	18.50	1.50	20.00
11	SANCHI COW MILK 500 ML	25.15	0.35	25.50	1.50	27.00
12	SANCHI COW MILK 5 LTR	251.50	3.50	255.00	15.00	270.00
13	SANCHI CHAI SPECIAL 5 LTR	231.50	3.50	235.00	15.00	250.00

यह अनुबंध आज दिनांक ————— को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंदौर सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, इंदौर (जिसे आगे प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ के नाम से संबोधित किया जावेगा) एवं मेसर्स/श्री ————— इन्दौर द्वारा बतौर साँची दूध के सुपरस्टॉकिस्ट की हैसियत से दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध संयंत्र खण्डवा से संबद्ध दुग्ध संयंत्र खण्डवा से डूल्हार, रूस्तमपुर, बोरगांव बुर्जुग, नयापुरा, असीरगढ़, नेपालगर, निम्बोला, बुरहानपुर शहर, शाहपुर, खकनार, देड़तलाई, शेखपुरा, गुडी, सिंगोट, जसवाड़ी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दूध सुपरस्टॉकिस्ट सह परिवहनकर्ता कार्य के लिए दिनांक 00/00/00 से 00/00/00 (.....वर्ष) तक अवधि के लिये अनुबंधित कर हस्ताक्षरित किया जा रहा है। जिसे आगे इस अनुबंध में सुपरस्टॉकिस्ट के नाम से सम्बोधित किया गया है। इस अनुबंध के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ व सुपरस्टॉकिस्ट वितरक (दूध) कार्य संपादित करेंगे।

1. आवेदक को ऑन लाईन राशि रुपये 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख मात्र) ई.एम.डी. राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
2. सफल निविदाकार की नियुक्ति पश्चात संघ में प्रतिभूति राशि पेटे रुपये 2.00 लाख नकद आर.टी.जी.एस. के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते में जमा करना होगा तथा 2.00 लाख की बैंक ग्यारंटी दुग्ध संघ में प्रस्तुत करना होगी। दूध विक्रय वृद्धि होने पर आनुपातिक रूप से प्रतिभूति राशि में वृद्धि की जावेगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। ई.एम.डी. राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि में किया जावेगा। इस प्रकार कुल प्रतिभूति राशि रु. 5.00 लाख होगी।
3. प्रत्येक माह के अंत में क्रेटों का मिलान करने पर जो क्रेटे कम होती है या कम पाई जाती है तो उसकी राशि वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर खाते की जमा राशि में से कम की जावेगी एवं इस तरह प्रत्येक माह में क्रेट कमी की राशि समायोजित कर ली जाएगी।
4. यदि किसी निविदाकार की प्रतिभूति राशि के रूप में पूर्व की बैंक ग्यारंटी दुग्ध संघ में जमा है। जिसकी अवधि वर्तमान में वैध है, तो बैंक ग्यारंटी आगामी ई-निविदा में मान्य की जावेगी।
5. असफल निविदाकारों की ई.एम.डी. राशि एम.पी. टेण्डर्स के नियमानुसार वापस की जावेगी।
6. परिवहन कार्य हेतु स्वयं के तापरोधी वाहनों के दस्तावेज प्रस्तुत करें। अन्यथा नये वाहन खरीदने की दशा में रु. 100/- के स्टाम्प पत्र पर नोटिफाईड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। तापरोधी वाहन मॉडल वर्ष 2020 अथवा उसके बाद के पंजीकृत होना चाहिए। वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ. से करवाकर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगी। वाहन संचालन एवं दूध व्यवसाय हेतु फर्म का खाद्य एवं सुरक्षा लायसेन्स का पंजीकरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
7. दूध सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता के द्वारा किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार रहेंगे :-
 - (A) दुग्ध संघ द्वारा दूध पर दिये जाने वाले वितरक मार्जिन/रिटेलर मार्जिन/परिवहन मार्जिन के सत्यापन हेतु माह के अंत में कम्प्यूटराईज्ड विक्रय विवरण पत्रक प्रस्तुत करना होगा।
 - (B) दूध सुपरस्टॉकिस्ट को दूध संघ के द्वारा वितरण समय सारणी अनुसार वितरण डाक पर वाहन उपलब्ध कराना होंगे एवं निर्धारित समय पर मार्गवार दूध प्रदाय व वितरण सुनिश्चित करना होगा।
 - (C) दूध सुपरस्टॉकिस्ट को सभी वितरण मार्गों पर अलग-अलग वाहन समय सारणी में तय समय पर संचालित करना होगा, जिससे समय पर दूध वितरण हो सके।
 - (D) दूध सुपरस्टॉकिस्ट के कर्मियों द्वारा मार्गवार जाने वाली भरी एवं रिटर्न वाली खाली क्रेटों का हिसाब रखना होगा एवं संघ को प्रत्येक माह मिलान हेतु हिसाब प्रस्तुत करना होगा।
 - (E) दूध सुपरस्टॉकिस्ट का कार्यक्षेत्र बुरहानपुर शहर एवं आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र रहेगा। बुरहानपुर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दूध प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए नए विपणन मार्ग बनाना, वितरक/रिटेलर

चयनित कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी से स्वीकृति लेकर नियुक्त करना अनिवार्य रहेगा। नियुक्ति संबंधित कार्यवाही के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी से लिखित में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

- (F) दुग्ध विक्रय वृद्धि हेतु मुख्य वितरण मार्गों के अतिरिक्त शटल मार्गों पर छोटी वाहनों, सहवितरक/रिटेलर के माध्यम से दुग्ध परिवहन कराना होगा।
- (G) वर्तमान में संचालित विपणन मार्ग के अतिरिक्त नवीन विकसित कालोनीयों में दुग्ध प्रदाय सुनिश्चित कराने के लिए नए मार्गों का गठन आगामी तीन माहों में करना होगा।
- (H) समस्त दुग्ध वितरकों से दूध की वेरियंट अनुसार मांग एकत्रित कर, गणना कर निर्धारित समय पर लिखित में अथवा ई-मेल द्वारा वितरकवार, मार्गवार, वाहन की क्षमता अनुसार प्रतिदिन संघ में देना होगी।
- (I) वाहनों में लोड हुए दूध को वितरक क्षेत्र के विक्रेताओं को विक्रय हेतु उतरवाना तथा उसकी मात्रा क्रेट संख्या सहित विक्रेता से प्राप्ति रसीद लेना, वापसी में रिक्त क्रेटों प्राप्त करना तथा उसकी रसीद विक्रेता को दैनिक रूप से देना होगा।
- (J) दूध सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा वितरण डाक पर नियुक्त पर्यवेक्षक वाहनों में हो रहे दूध लोडिंग के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रेट्स में निर्धारित संख्या में दूध के पैकेट तथा कोई पैकेट लिकेज नहीं है। इसके पश्चात् दुग्ध संघ किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस हेतु यह आवश्यक होगा कि सुपरस्टॉकिस्ट अपने पर्यवेक्षकों के नाम मय फोटो I.D. प्रूफ के संघ में जमा करावेगा ताकि उनकी अनुपस्थिति का रिकार्ड संघ में रखा जा सके। पर्यवेक्षकों की अनुपस्थिति के विरुद्ध प्रबन्ध द्वारा निर्धारित पैनल्टी लगाने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
- (K) दूध सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा प्रतिदिन मांग अनुसार दूध मात्रा की राशि RTGS के माध्यम से नकद दुग्ध संघ के खाते में अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा। बैंक अवकाश के दिनों में राशि ऑनलाईन दुग्ध संघ खाते में अग्रिम जमा करना होगी। राशि जमा नहीं करने पर दूध प्रदाय नहीं किया जायेगा।
- (L) दूध सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा उठायी गई दूध मात्रा की नियत राशि संघ द्वारा वसूल की जा सके इस हेतु **इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर** के नाम संचालित बैंक खाते के अकाउण्ट-पे रेखांकित पाँच चैक दुग्ध संघ को देना होगा। जिसका विशेष परिस्थितियों में संघ द्वारा उपयोग किया जा सकेगा।
- (M) दुग्ध सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा बुरहानपुर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शासकीय/निजी संस्थाओं को स्वयं की तापरोधी वाहनों से दूध प्रदाय करना होगा। जिस पर सुपर/वितरक मार्जिन परिवहन व्यय का भुगतान किया जावेगा।
8. यदि किसी क्षेत्रीय वितरक अथवा विक्रेता को दूध की आपूर्ति बन्द की जाती है तो सुपरस्टॉकिस्ट का प्रमुख दायित्व रहेगा कि उस क्षेत्र के नियमित उपभोक्ताओं को दूध की आपूर्ति हेतु तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था उसी क्षेत्र में करेगा। जिसमें सभी उपभोक्ता नगद, अग्रिम पत्र धारी, संघ अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित हैं।
9. सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा नियुक्त अधिकृत वितरकों/विक्रेताओं को दिये जाने वाले मार्जिन एवं परिवहन व्यय का भुगतान सुपरस्टॉकिस्ट के माध्यम से किया जावेगा एवं भुगतान का रिकार्ड सुपरस्टॉकिस्ट को रखना होगा एवं सत्यापन हेतु प्रतिमाह संघ को प्रस्तुत करना होगा। यह प्रस्तुत नहीं होने पर आगामी माह में सुपरस्टॉकिस्ट की सेवाएँ समाप्त की जायेगी।
10. सुपरस्टॉकिस्ट को प्रतिमाह मार्गवार/ज़ोनवार प्रतिदिन के वेरियंट अनुसार विक्रय होने वाली दूध मात्रा की मासिक औसत विक्रय रिपोर्ट वितरकों/हॉकरों से प्राप्त कर संघ में प्रस्तुत करनी होगी, उसी अनुसार संघ की स्थानीय ज़ोन विक्रय रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

11. सुपरस्टॉकिस्ट वितरक को बुरहानपुर शहर सीमा एवं इसके आस-पास के ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्तमान में साँची दूध विक्रय हेतु कोई एजेन्सी/डिपो/पार्लर नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में प्रतिमाह 25 नवीन एजेन्सी वितरक के माध्यम से प्रारम्भ कर दूध विक्रय वृद्धि करना होगी।
12. सुपरस्टॉकिस्ट को गत वर्ष समान माह में विक्रय हो रही दूध मात्रा की तुलना में 10% वृद्धि करना अनिवार्य होगा। वृद्धि नहीं होने पर अनुपातिक मार्जिन में कटौती एवं पैनल्टी की जावेगी।
13. शहर में समय-समय पर आयोजित होने वाले धार्मिक सत्संग/मेला/प्रदर्शनी आदि बड़े आयोजनों में लगने वाले दूध की माँग यदि संघ को प्राप्त होती है तो संघ द्वारा निर्धारित विशेष रियायती दर पर दूध पैकेट प्रदाय करना होगा, जिसकी राशि सीधे संघ द्वारा प्राप्त की जावेगी सुपरस्टॉकिस्ट को नियमानुसार परिवहन व्यय का भुगतान किया जावेगा।
14. सुपरस्टॉकिस्ट वितरक को सम्पूर्ण क्षेत्र में समस्त विपरित परिस्थितियों में जैसे शहर बंद, कर्फ्यू, निजी दूध व्यवसायियों की उपभोक्ताओं को दूध प्रदाय नहीं करने संबंधी हड़ताल आदि अवसरों पर दूध का प्रदाय अपनी जिम्मेदारी पर अनिवार्य रूप से करना होगा।
15. दूध/दुग्ध पदार्थ वितरण व्यवसाय का 05 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
16. दूध सुपरस्टॉकिस्ट को संघ द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण क्षेत्र में साँची दूध के व्यवस्थित वितरण हेतु परिवहन व्यवस्था करना होगी साथ ही वितरण कार्य में लगाये जाने वाले क्षेत्रीय वितरण वाहन (2020 या उसके बाद के मॉडल) या उसके जो कि 2 इंच मोटाई के पफयुक्त (Puff) तापरोधी वाहन होकर चारों ओर से बन्द (लोडिंग – अनलोडिंग हेतु एक ओर दरवाजा हो एवं पर्याप्त प्रकाश) की व्यवस्था भी करना होगी। इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज जैसे :- वाहन किराया, अनुबंध रजिस्ट्री आदि तथा वाहन रजिस्ट्रेशन भी जमा करवाने होंगे।
17. सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा डेयरी डाक से दूध प्राप्त करते समय उसकी जाँच-परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्राप्त कर लेने के पश्चात् किसी भी प्रकार के लीकेज तथा दूध पैकेट व क्रेट की गणना में अन्तर आदि की जिम्मेदारी सुपरस्टॉकिस्ट की रहेगी।
18. दूध सुपरस्टॉकिस्ट को संघ की निर्धारित शर्तों अनुसार **रूपये 1,000/-** के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। यह कि प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को केवल साँची दूध वितरण/विक्रय हेतु बुरहानपुर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु पूर्णतः अस्थाई रूप से 03 (तीन) वर्ष की अवधि हेतु सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्त किया गया है। तत्पश्चात् कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति संतोषजनक होने पर एक-एक वर्ष कर 02 (दो) वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी।
19. दूध सुपरस्टॉकिस्ट सह परिवहनकर्ता को एक माह की पूर्व अग्रिम सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में कार्य से पृथक करने का अधिकार प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ को रहेगा। इसके लिये प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ किसी भी तरह की न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। दूध सुपरस्टॉकिस्ट सह परिवहनकर्ता कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ को तीन माह का अग्रिम लिखित नोटिस दूध सुपरस्टॉकिस्ट सह परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बाबद् देना होगा।
20. सुपरस्टॉकिस्ट की नियुक्ति पश्चात् समस्त संचालित वाहनों पर ब्राण्डिंग संघ द्वारा दी गई डिजाईन अनुसार सुपरस्टॉकिस्ट को अपने व्यय पर कराना अनिवार्य होगी।
21. पूर्व में संघ में कार्य कर चुके सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक जिनका किसी भी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण रहा हो या वित्तीय अनियमितता हो या जिनको किसी भी संघ द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया हो या दुग्ध संघ में कार्यरत कर्मचारी/पूर्व कर्मचारी/स्वयं या रिश्तेदार हों वे सभी इस निविदा हेतु अपात्र रहेंगे।
22. सुपरस्टॉकिस्ट को बुरहानपुर शहर एवं आस-पास के क्षेत्र में निर्देश अनुसार नेटवर्क स्थापित कर लक्ष्य अनुसार विक्रय करना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा। कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण बुरहानपुर जिला होगा।

23. सुपरस्टॉकिस्ट संघ के विज्ञापन एवं ब्राण्ड प्रमोशन में पूर्ण सहभागिता देगा एवं आवश्यकता अनुसार प्रचार-प्रसार हेतु साधन भी उपलब्ध करवायेगा। साथ ही संघ द्वारा संपादित करवाये जाने वाले कार्य जैसे "दूध का दूध, पानी का पानी" एवं अन्य सर्वे आदि कार्यों में अपने प्रतिनिधि की उपस्थिति एवं सहभागिता भी सुनिश्चित करेंगे।
24. निविदा प्रपत्र के साथ आवेदक के विरुद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं है, ऐसी सत्यापन रिपोर्ट निकटतम पुलिस थाने से बनाकर प्रस्तुत की जाये।
25. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर को होगा।
26. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में ऑर्बिटेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
27. दूध सुपरस्टॉकिस्ट को बुरहानपुर शहर के नगर पालिक निगम वाले क्षेत्र में साँची दूध विक्रय हेतु 50 नये वितरक नियुक्त करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तत्पश्चात् ज़ोन वितरक की प्रतिभूति राशि दुग्ध संघ के खाते में जमा कराना होगी एवं त्रिपक्षीय अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
28. ई-निविदा में स्वीकृत होने के पश्चात् निविदाकर्ता द्वारा यदि कार्य में अनियमितता की जाती है तो एक माह पूर्व नोटिस देकर सुपरस्टॉकिस्ट सह परिवहनकर्ता कार्य से पृथक किया जावेगा।
29. प्राप्त आवेदन की समीक्षा गठित चयन समिति के द्वारा की जावेगी, एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं समस्त आवेदकों पर बंधनकारी होगा।
30. इन्दौर दुग्ध संयंत्र पर दूध की चोरी के किसी भी तरह के प्रकरण में पकड़े जाने पर दूध के कुल मूल्य राशि का 50 गुणा अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा।
31. निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की अर्नेस्ट मनी संघ के खाते में समायोजन करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
32. सुपरस्टॉकिस्ट, वितरकों को वितरक दर पर ही साँची दूध विक्रय कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। रिटेलरों द्वारा उपभोक्ताओं को MRP से अधिक दर पर विक्रय होने पर वैधानिक कार्यवाही के लिए सुपरस्टॉकिस्ट जिम्मेदार होंगे।
33. दूध सुपरस्टॉकिस्ट के माध्यम से विक्रय किए जाने वाले दूध पर रु. 0.15 प्रतिलीटर सुपरस्टॉकिस्ट मार्जिन का भुगतान किया जावेगा। सुपरस्टॉकिस्ट मार्जिन में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
34. यह कि अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार सुपरस्टॉकिस्ट सह-परिवहनकर्ता की स्वीकृत परिवहन दरों में भी वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जा सकेगी। निविदा दिनांक को डीजल के दर रु. प्रतिलीटर है। इसकी गणना मार्ग की दूरी अनुसार निविदा में वर्णित है, वाहन का प्रकार टाटा 407 औसतन 10 किलोमीटर/प्रतिलीटर, टाटा 608/709/आयशर औसतन 06 किलोमीटर/प्रतिलीटर के आधार पर की जावेगी।
35. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत ई-निविदा प्रपत्र में प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
36. संघ द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देश/पत्र अनुबन्ध का भाग माने जावेंगे।
37. निविदाकार को खण्डवा या बुरहानपुर जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
38. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र न्यायालय इन्दौर रहेगा।

39. सुपरस्टॉकिस्ट सह परिवहनकर्ता एवं उससे संबद्ध वितरक का इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ एवं एमपीसीडीएफ के अधीनस्थ दुग्ध संघों में किसी प्रकार का किसी भी विषय पर कोई न्यायालयीन प्रकरण नहीं होने का राशि रुपये 1,000/- स्टॉम्प पत्र पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
40. वितरण वाहन के स्टॉफ की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, वाहन चालक लायसेन्स, आधारकार्ड व पहचान पत्र अनिवार्यतः उपलब्ध कराए जाए।

इस अनुबंध पत्र की सभी शर्तों को उभयपक्षों द्वारा अच्छी तरह से पढ़ एवं समझकर आपसी सहमति के आधार पर दुग्ध संघ कार्यालय में हस्ताक्षर किये गए हैं, अनुबंध लेख दिनांक ----- से 03 (तीन) वर्ष एवं आपसी सहमति से बढ़ाई गई कार्य अवधि (अधिकतम 02 वर्ष) के लिये प्रभावशील रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या, इन्दौर
(प्रथम पक्ष)

श्री/मेसर्स
सुपर स्टॉकिस्ट (दूध)
द्वितीय पक्ष)

➤ गवाह ◀

1- हस्ताक्षर

नाम — — — — —
पिता — — — — —
पता — — — — —
— — — — —
— — — — —

2- हस्ताक्षर

नाम — — — — —
पिता — — — — —
पता — — — — —
— — — — —
— — — — —

X